भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
05.12.2013 को राज्य सभा में
पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या 2.

नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम

2. श्री पी. राजीव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार या सरकारी क्षेत्र की किसी कम्पनी ने देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण हेतु विदेशी कम्पनियों के साथ कोई समझौते किए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार की नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम की धारा 17(ख) (जिसके अन्तर्गत खराब उत्पादों या सेवाओं के कारण दुर्घटना होने पर विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को दण्डित किए जाने का प्रावधान है) को शिथिल करने की कोई योजना है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय
(श्री वी. नारायणसामी)

(क) कुडनकुलम, तमिलनाडु (कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं यूनिट 1 तथा 2) में 2x1000 मेगावाट क्षमता के वीवीईआर्ज़ की स्थापना हेतु वर्ष 2001 में देश में एक नाभिकीय विद्युत संयंत्र को स्थापित करने के लिए हस्ताक्षर किए गए अंतिम अनुबंध के बाद, पिछले कुछ समय में किसी विदेशी कम्पनी के साथ किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

* * * * * * *